(88)

प्र.क. R-280 PBR / 2017

प्रस्तुती दिनांक 18 / 01 / 2017

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प इन्दौर के समक्ष

दिनेश पिता स्व. उमरावसिंह राजपूत
निवासी – ग्राम खतड़गांव तहसील धरमपुरी
जिला धार .... प्रार्थी / आवेदक

विरूद्ध

उमरावसिंह पिता कालूसिंह राजपूत मृत तर्फे
वारिसान

1. **सुमनबाई पिता स्व. उमरावसिंह राजपूत**
2. **नंदाबाई पिता स्व. उमरावसिंह राजपूत**
3. **किरणबाई पिता स्व. उमरावसिंह राजपूत**
4. **ममताबाई पिता स्व. उमरावसिंह राजपूत**
   सभी निवासी – हा.मु. ग्राम सन्नाटी घेगदा
   तहसील धरमपुरी जिला धार
5. **वंदना पिता स्व. देवीसिंह राजपूत**
   निवासी – ग्राम खड़तगांव तहसील धरमपुरी
   जिला धार
6. **सुभद्राबाई पति स्व. देवीसिंह राजपूत**
   निवासी – ग्राम खड़तगांव तहसील धरमपुरी
   जिला धार
7. **संजय पिता स्व. देवीसिंह राजपूत**
   निवासी – ग्राम खड़तगांव तहसील धरमपुरी
   जिला धार
8. **प्रीति पिता स्व. देवीसिंह राजपूत**
   निवासी – ग्राम खड़तगांव तहसील धरमपुरी
   जिला धार ....प्रतिप्रार्थीगण / अनावेदकगण

-- 2

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

इसमें अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर–धरमपुरी क्षेत्र जिला धार द्वारा प्र.क. 20/अपील/2015–16 में आदेश दिनांक 11.01.2017 को अदम पैरवी में खारिज किये गये प्रकरण को पुनश्च कर सुनवाई में लिये जाने बाबद पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम खडतगांव तहसील धरमपुरी जिला धार स्थित कृषिभूमियां सर्वे कमांक 100/1 रकबा 0.822, सर्वे कं. 47/2 रकबा 0.474, सर्वे कं. 47/5 रकबा 0.949 एवं सर्वे कं. 41 रकबा 0.474 होकर के मूल भूस्वामी उभयपक्षों के वडिल उमरावसिंह पिता कालूसिंह राजपूत रहे। एवं उनकी मृत्यु वर्ष 1977–78 में होने पर उक्त भूमियों के राजस्व अभिलेखों में उनकी पत्नी फुलकुंवरबाई एवं दोनो नाबालिग पुत्रों दिनेश (वर्तमान प्रार्थी) एवं देवीसिंह (वर्तमान प्रतिप्रार्थी कं. 5 लगायत 8 के वडिल) का फोती नामांतरण वारिस नाते सन 1978–79 में दर्ज हुआ। उक्त भूमियों का आपसी सहमति से बंटवारा अभिलिखित भू–स्वामियों वर्तमान प्रार्थी (दिनेश) एवं प्रतिप्रार्थी कं. 5 लगायत 8 के वडिल देवीसिंह एवं उनकी मॉ फुलकुंवरबाई के मध्य नामांतरण पंजी कमांक 22 आदेश दिनांक 03.03.2005 द्वारा स्वीकृत हुआ। उसके काफी समय बाद स्व. उमरावसिंह की पुत्रियों वर्तमान प्रतिप्रार्थी कं. 1 लगायत 4 ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर जिला धार के समक्ष ना. पंजी कं. 22 आदेश दिनांक 03.03.2005 के विरूद्ध बिना अपील प्रस्तुति की अनुमति आवेदन एवं बिना आक्षेपित ना. पंजी ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (दिनेश / उमराव)

प्रकरण क्रमांक R 280—PBR/2017 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2017	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उप.। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-01-2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	
(हस्ताक्षर)		

[कृ. प. उ.